न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,झालावाड़
पीठासीन अधिकारीः अजय सिंह राठौड़, आई0ए0एस0

मि0नं0 19/अपील/24

तारीख दायरा :18.06.2024

उनवान अपील

हजारी लाल पुत्र बाबूराम जाति भोई कश्यप निवासी कश्यप कॉलोनी झालावाड़ तहसील झालरापाटन जिला झालावाड़ राज0 अपीलार्थी

बनाम

01. चन्दन सिंह पुत्र देवीशंकर जाति जीनगर निवासी चन्द्रावत भवन, तबेला रोड़ केलवा साहब की हवेली के पास, झालावाड़ तहसील झालरापाटन जिला झालावाड़ राज0

02. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील झालरापाटन जिला झालावाड़ राजस्थान

03. उपपंजीयक झालावाड़ झालरापाटन कार्यालय झालरापाटन जिला झालावाड़ राजस्थान

.....रेस्पोंडेण्ट्स

अपील बनाराजगी आदेश नामा0/इंतकाल सख्या 1775 दिनांक 12.12.2023 तहसीलदार तहसील झालरापाटन निरस्त किये जाने बाबत।

उपस्थितः श्री मनोज शर्मा, अभिभाषक अपीलान्ट

श्री पुरीलाल राठौर अभिभाषक रेस्पो0

– :निर्णयः – दिनांकः06.08.2024

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम झालावाड़ पटवार हल्का झालावाड़ तहसील झालरापाटन जिला झालावाड़ राजस्थान में खाता संख्या नया 380 व पुराना 145 ख0 नं0 270, 271, 272 रकबा 0.5565 हैक्टयर आराजी स्थित है जो नामान्तकरण संख्या 1775 दिनांक 12.12.2023 से स्व0 मोहन लाल पुत्र धन्ना का फौती नामा0 खोला जाकर वर्तमान में मुताबिक जमाबंदी सम्वत 2074–2077 रेस्पो0 के नाम दर्ज आ रही है। अपील में लेख किया है कि उक्त प्रश्नगत आराजी राजस्व रिकार्ड में रेस्पो0 से पूर्व में स्व0 मोहनलाल पुत्र धन्ना जाति जीनगर के नाम दर्ज थी जिनका फर्जी वसीयतनामा बनाकर रेस्पो0 ने सुनियोजित तरीके से षड्यंत्रपूर्वक नामा0 अपने नाम

जिला कलक्टर झालावाड़

करवा लिया है। उक्त आराजी स्व0 मोहनलाल के नाम उनकी माता स्व0 श्रीमती तुलसीबाई बेवा धन्ना लाल के फौती इंतकाल के बाद आई जो स्व0 तुलसीबाई द्वारा अपने जीवनकाल में ही 3000/ में पूर्ण प्रतिफल प्राप्त कर अपीलार्थी को बेचान कर कब्जा काश्त मोके पर संभला दिया था तथा इस संबंध में बेचाननामा स्टाम्प पर रूबरू गवाहान आलेखित व निष्पादित कर दिया था। स्व0 तुलसीबाई के देहान्त के बाद स्व0 मोहनलाल द्वारा भी अपीलार्थी के पक्ष में एक दानपत्र स्टाम्प पर रूबरू गवाहान दिनांक 17.01.2013 आलेखित व निष्पादित किया जिसे नोटेरी पब्लिक से तस्दीक करवाया गया। स्व0 मोहनलाल के कोई वारिसान ना होने का अनुचित फायदा उठाकर रेंस्पो0 संख्या 01 ने गलत ढ़ंग से अपूर्ण प्रकिया अपनाकर बिना मोके का निरीक्षण एवं जांच किये अपीलार्थी को सुनवाई का बिना अवसर दिये प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित तहसीलदार झालरापाटन द्वारा खोला गया नामा0 संख्या 1775 दिनांक 12.12.2023 निरस्तनीय होने से पुनः नियमानुसार न्यायपूर्वक व निष्पक्ष निर्णय हेतु रिमाण्ड किये जाने की प्रार्थना की है।

अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया। रेस्पो0 की ओर से विद्वान वकील श्री पुरीलाल राठौर का वकालतनामा प्रस्तुत हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। पत्रावली वास्ते बहस उभयपक्षकारान रखी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि प्रश्नगत आराजी का सम्बंध पूर्व में स्व0 मोहनलाल पुत्र धन्ना जाति जीनगर निवासी झालावाड़ के नाम दर्ज थी जिसका फर्जी वसीयतनामा तैयार करके रेंस्पो0 संख्या 01 चन्दनसिंह ने सुनियोजित तरीके से षड्यंत्रपूर्वक फर्जी दस्तावेज बनाकर नामा0 तस्दीक करा लिया जो निरस्त किये जाने योग्य है तत्पश्चात वकील रेस्पो0 01 ने अपनी बहस में बताया कि प्रश्नगत आराजी के हस्तांतरण स्व0 मोहनलाल पुत्र धन्ना जाति जीनगर ने अपने जीवनकाल में ही जर्ये रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 27.06.2013 को रेस्पो0 संख्या 01 के पक्ष में की गई है जो विधि अनुसार है जिसके आधार पर तहसीलदार झालरापाटन द्वारा खोला गया नामा0 संख्या 1775 दिनांक 12.12.2023 विधि द्वारा सुस्थापित प्रकिया के तहत खोला गया है जो सही है इस संदर्भ में वकील ने आरआरटी 2007 पेज नं0 659 दिव्या कोर व अन्य बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू व अन्य पेश की है जिसमें सिविल प्रकिया संहिता, 1908 आदेश 23 नियम 01 का विस्तार– नामा0– अचल सम्पत्ति में अधिकार का अभित्यजन – निर्णित, यह अधिकार अभित्यजन के वैध दस्तावेज द्वारा ही अभित्यजन किया जा सकता है **अपील खारिज (Appeal Dismissed) की है**, अपील खारिज की जावे।

जिला कलक्टर झालावाड़

हमने बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी। बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। बहस एवं पत्रावलियों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा अनरजिस्टर्ड बैचाननामा एवं दानपत्र के आधार पर प्रश्नगत आराजी के सदर्भ में खोला गया नामा0 को चुनौती दी गई है एवं उक्त खोले गए नामा0 को निरस्त किये जाने की इस्तदुआ की है जिसे यह न्यायालय न्यायोचित नहीं समझता है। अपीलार्थी माननीय सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है। तहसीलदार तहसील झालरापाटन द्वारा रजिस्टर्ड वसीयतनामे के आधार पर खोला गया नामा0 संख्या 1775 दिनांक 12.12.2023 विधि सम्मत है एवं विधि द्वारा सुस्थापित प्रकिया के तहत ही तस्दीक किया गया है जो किसी भी संशोधन अथवा रद्दोबदल का मोहताज नहीं है। अपीलांट को इस अपील के माध्यम से किसी भी तरह का अनुतोष प्रदान किया जाना यह न्यायालय उचित नहीं समझता है। अपील अपीलांट मय खर्चा खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति से साथ लोटाई जावे। पत्रावली फैसले में शुमार की जाकर बाद तामिल तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अजय सिंह राठौड़)
जिला कलक्टर
झालावाड़

जिला कलक्टर
झालावाड़